प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2024/131945/MRB/MORADABAD/2264/CFO

दिनांक: 21-09-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **SHRI RAMCHANDRA INTERNATIONAL SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम)पता **338 SIKANDARPUR PAKBARA,0,MORADABAD** तहसील - **MORADABAD**, प्लाट एरिया **6184.00 sq.mt** , कुल कवर्ड एरिया **1633.52**(वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - **2** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
RAMCHANDRA	2	0	7.78 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **SHRI RAMCHANDRA INTERNATIONAL SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण **अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **26-09-2024** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **CHANDRA WATI raajvhb@gmail.com 8923203085** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **28-09-2024** से **28-09-2027** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **SHRI RAMCHANDRA INTERNATIONAL SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **SHRI RAMCHANDRA INTERNATIONAL SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : एफएसओ श्री ज्ञानप्रकाश शर्मा द्वारा अपलोड मानचित्र/अभिलेखो का परीक्षण तथा स्थलीय निरीक्षण किया गया तो एफएसओ की संस्तुति आख्या के अनुसार भवन उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली 2024 में आंकलित हैं विद्युत सुरक्षा निदेशालय से विद्युत व्यवस्थापन की जॉच करा ली जाए अर्ह अभिकर्ता से वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता का प्रमाण.पत्र अग्निशमन विभाग को प्रेषित करें तथा फायर उपरकरणों का ए0एम0सी0/मरम्मत अर्ह एजेन्सी से करायी जाए उक्त की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रबन्धक की होगी। यदि शर्तों का उल्लघन होता है तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा। एफएसओ की संस्तुति आख्या के आधार पर निर्गत।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है । इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा । यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है ।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)

Digitally Signed By
(KRISHNA KANT OJHA)

[FAD078289550F5D9B50FEA91CFAF11EFC241D0E9]

28-09-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक : 28-09-2024
स्थान : MORADABAD